

विचार बिन्दु

मुस्कान थके हुए के लिए विश्राम है, उदास के लिए दिन का प्रकाश है तथा कष्ट के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। –अज्ञात

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज़ : प्रदेश में हर 100 दुर्घटनाओं में 48 लोगों की मृत्यु होती है

राज्य सरकार ने प्रदेश में एक जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज़ किया है। सरकार के मुताबिक सीख से सुरक्षा, तकनीक से परिवर्तन थीम के साथ शुरू हुआ यह अभियान जीवन रक्षा का पावन संकल्प है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों विशेषकर युवाओं से अपील की है, वे खतरनाक और लापरवाह ड्राइविंग से दूर रहे, हेलमेट एवं सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें साथ ही दुर्घटना में घायल व्यक्ति की निःसंकोच सहायता करें।

भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों की संख्या में लोग अपनी जान गवां देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हो रही है। दुर्घटनाओं में मौतें और घायल होने के समाचार प्रतिदिन पढ़ने और देखने को मिल रहे हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में सड़क हादसों में कमी नहीं आई है, बल्कि साल दर साल इसमें इजाफा हो रहा है। देशभर में हर साल लगभग डेढ़ लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा 10,000 से अधिक है। प्रदेश में हर 100 दुर्घटनाओं में 48 लोगों की मृत्यु होती है, जो राष्ट्रीय औसत 36 से काफी अधिक है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने अपना नाम परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा जरूर रख लिया है मगर प्रदेश में आये दिन सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान में प्रतिवर्ष तीस हजार से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही है जिनमें युवा सर्वाधिक शिकार हो रहे है। राज्य में इससे पूर्व 11 से 25 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान अभियान चलाया गया था। वह अभियान कितना सफल हुआ यह हर कोई जानता है। पिछली मानसूनी वर्षा में प्रदेशभर की सड़कें जगह-जगह से टूट-फूट गई थी। उस दौरान सरकार ने ऐलान किया था कि दीपावली से पूर्व सड़कों को दुरुस्त कर दिया जायेगा। सड़कें दुरुस्त जरूर हुई मगर केवल वे सड़कें सुधारी गई जहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री या वीवीआईपी का भ्रमण ज्यादा होता है। राजधानी के अंदरूनी स्थानों और गली, कॉलोनियां आज भी टूटी-फूटी पड़ी है। जान लेवा गड्डे, वाहनों और पैदल चलने वालों की मुसीबत बने हुए है। इन स्थानों पर आये दिन सड़क हादसे हो रहे है। इन हादसों को रोकने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों सड़क हादसों के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश की राजधानी हादसों का मुख्य केंद्र बनी हुई है। सड़क हादसों में जयपुर पूरे भारत में अग्रणी है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्रतिदिन इसकी चपेट में आ रहे हैं। यातायात मार्गों पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दो पहिया हो या चार पहिया किसी को भी जिंदगी की परवाह नहीं है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है। यातायात नियमों की सरेआम धज्जियाँ उड़ रही है। नियमों की पालना नहीं होने से दुर्घटनाओं के अम्बार गहरा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं से अखबार भरे रहते हैं। राजधानी के यातायात मार्ग तो जाने-अनजाने मौत के मार्ग बन गये हैं। सबसे बुरी स्थिति टोंक रोड पर बी-2 बाईपास, शिवदासपुरा, पावटा, जे.एल.एन. मार्ग पर ओ.टी.एस.

पिछली मानसूनी वर्षा में प्रदेशभर की सड़कें जगह जगह से टूट फूट गई थी। उस दौरान सरकार ने ऐलान किया था कि दीपावली से पूर्व सड़कों को दुरुस्त कर दिया जायेगा। सड़कें दुरुस्त जरूर हुई मगर केवल वे सड़कें सुधारी गई जहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री या वीवीआईपी का भ्रमण ज्यादा होता है। राजधानी के अंदरूनी स्थानों और गली, कॉलोनियां आज भी टूटी-फूटी पड़ी है। जान लेवा गड्डे, वाहनों और पैदल चलने वालों की मुसीबत बने हुए है।

स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वाहनों के बढ़ जाने के कारण और सड़कों पर अतिक्रमण के फलस्वरूप यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई है। अतिक्रमण और अवैध कब्जों ने इन बाजारों की शांति का जैसे किसी ने हरण कर लिया है। ऑपरेशन पिंक के दौरान अवैध कब्जे और अतिक्रमण को हटाकर आम नागरिक को राहत दी गई थी मगर अब फिर से अतिक्रमण की पुरानी स्थिति बहाल होने से आम आदमी आहत है। एक बार फिर राजधानी अतिक्रमणकारियों के बाजे में है। लोग चार पहिया वाहन लेकर जाने में डरने लगे है।

सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ में तेजी से वृद्धि हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं से अखबार भरे रहते है। दुर्घटनाओं में मौतें और घायल होने के समाचार प्रतिदिन पढ़ने और देखने को मिल रहे हैं। भारत में सबसे अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, जबकि लाखों की संख्या में लोग घायल हो जाते है और हजारों जीवन भर के लिए विकलांग भी हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 33 प्रतिशत 15 से 24 साल के आयु वर्ग के युवा हैं। सड़क हादसों के मामले में राजस्थान का देश में आठवां तथा इन हादसों में मरने वालों की संख्या के लिहाज से पांचवें स्थान पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना 415 लोगों की जान जाती है। हर साल 4.50 करोड़ सड़क हादसे होते हैं। इनमें डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है और साढ़े चार लाख लोग घायल होते हैं। जानकारों का कहना है सड़क हादसों में होने वाली मौतों की तादाद सरकारी आंकड़ों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। दूर-दराज के इलाकों में होने वाले हादसों की अक्सर खबर ही नहीं मिलती। देश में लॉकडाउन के दौरान सड़क हादसों में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई थी, पर अनलॉक के बाद से दोबारा सड़क हादसों में तेजी आ गई है।

सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है, आम जनता में खासतौर से नये आयु वर्ग के लोगों में अधिक जागरूकता लाने के लिये इसे शिक्षा, सामाजिक जागरूकता आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ा गया है। सड़क दुर्घटना, चोट और मृत्यु आज के दिनों में बहुत आम हो चला है। सड़क पर ऐसी दुर्घटनाओं की मुख्य वजह लोगों द्वारा सड़क यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा उपायों की अनदेखी है। गलत दिशा में गाड़ी चलाना, सड़क सुरक्षा नियमों और उपायों में कमी, तेज गति, नशे में गाड़ी चलाने आदि। सड़क हादसों की संख्या को घटाने के लिये उनकी सुरक्षा के लिये सभी सड़क का इस्तेमाल करने वालों के लिये सरकार ने विभिन्न प्रकार के सड़क यातायात और सड़क सुरक्षा नियम बनाये हैं। हमें उन सभी नियमों और नियंत्रकों का पालन करना चाहिये जैसे रक्षाम्क चालन की क्रिया, सुरक्षा उपायों का इस्तेमाल, गति सीमा को ठीक बनायें रखना, सड़क पर बने निशानों को समझना आदि। जान लेवा सड़क हादसों को रोकने के लिए जरूरी है कि सड़कों की स्थिति अच्छी हो, जन कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व है कि वह उच्च गुणवत्ता युक्त सड़कों का निर्माण करें और क्षत-विक्षत सड़कों को दुरुस्त करें ताकि वाहन किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होवे। नगर निकायों और एजेन्सियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिये। घंटिया निर्माण पर तुरन्त कार्यवाही हो तथा यातायात और ट्रैफिक की वर्तमान स्थिति में जनभावनाओं के अनुरूप सुधार हो। आम आदमी को राहत प्रदान करने के लिए निर्माण कार्यों में पारदर्शिता का होना अत्यावश्यक है।

–अतिथि संपादक, बालमुकुन्द ओझा, वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार



पंडित अनिल शर्मा

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मिथुन, शुक्र-धनु, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज रविवार दिन 12:24 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:39 तक, चर 11:13 से 12:30 तक, लाभ-अमृत 12:30 से 3:05 तक, शुभ 4:23 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:45

राशिफल

गुरुवार 8 जनवरी, 2026

माघ मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिन 12:24 तक, सौभाग्ययोग सायं 5:26 तक, गर करण दिन 6:50 तक, चन्द्रमा आज सायं 6:39 से कन्या राशि में संचार करेगा।



परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है।



आय में वृद्धि होगी। संपादित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।



परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी।



परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।



नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।



आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिलेगी।



अपनी कार्य योजना को समित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।



मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।



मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। आज व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।

संपादकीय

पेटेंट महानियंत्रक की वार्षिक रिपोर्ट जारी

बौद्धिक सम्पदा (आई.पी.) आवेदनों में अप्रत्याशित वृद्धि आई.पी प्रणाली अधिक सशक्त और सुव्यवस्थित संरचना की ओर बढ़ रही है



विकास आसावत

हाल ही में पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) ने वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जो भारत में बौद्धिक सम्पदा/इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (आई.पी.) प्रणाली की वर्तमान स्थिति का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष में भारत में आई.पी. क्षेत्र में निरंतर गति, अभूतपूर्व वृद्धि और अटूट प्रदर्शन देखने को मिला है।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, भारत के आई.पी.ऑफिस ने ऐतिहासिक वृद्धि हासिल की और बौद्धिक संपदा की सभी श्रेणियों में अभूतपूर्व संख्या में आवेदन दर्ज किए। देश में पेटेंट आवेदनों ने पहली बार एक लाख का आंकड़ा पार किया, जो पिछले

वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। यह घरेलू नवप्रवर्तकों की बढ़ती अनुसंधान क्षमता, जागरूकता और अंतर्निहित आत्मविश्वास की पुष्टि करता है। एक महत्वपूर्ण पहलु यह है कि भारतीय मूल के आवेदनों का पेटेंट आवेदनों में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रहा, जो नवाचार के प्रति जागरूकता, जुड़ाव, आत्मनिर्भरता की और स्पष्ट बदलाव और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास आधार के सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार पेटेंट फाइलिंग के मामले में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र टॉप थ्री राज्य रहे वहीं ट्रेडमार्क के लिए यह क्रम महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात का रहा।

मार्च 2024 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना जारी कर इनको तत्काल प्रभाव से लागू किया। इन संशोधन द्वारा - इन्वेंटर के योगदान को मान्यता देने के लिए “सर्टिफिकेट ऑफ़ इन्वेंटरशिप” प्रदान करना, शोध-पत्र प्रकाशन के 12 माह के भीतर पेटेंट फाइलिंग के समय एक विशिष्ट फॉर्म का समायोजन, पेटेंट जॉच के अनुरोध की समयावधि को आवेदन के 31 माह के भीतर करना, नियंत्रक की विलंब को क्षमा करने या समय बढ़ाने की शक्ति में वृद्धि, आदि महत्वपूर्ण बदलाव किये गए। समयानुसार हुए संशोधनों में स्टार्टअप, लघु उद्यमों

(एमएसएमई) और शैक्षणिक संस्थानों को कार्यवाही के प्रत्येक चरण में 80 प्रतिशत सरकारी शुल्क छूट शामिल की गयी है। वित्त वर्ष 2024-25 बौद्धिक संपदा आवेदन के आंकड़े पेटेंट- नवीन, उत्पाद प्रक्रिया, तकनीकी उन्नत, नॉन-ऑब्जियस, आविष्कारशील, कुल 1,10,375 आवेदन प्राप्त हुए जो पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है (कैलेंडर वर्ष 2025 में लगभग 1.35 लाख पेटेंट फाइलिंग)।

ट्रेडमार्क - उत्पाद, सेवा की व्यापारिक पहचान, लगभग 5.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए जो पिछले वर्ष के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है। कॉपीराइट- मौलिक रचना, 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 44,000 आवेदन प्राप्त से अधिक। डिजाइन- आकृति विन्यास या आकार संरचना, सतह पैटर्न उत्पाद की सौंदर्य संबंधी विशेषताएं, फाइलिंग का आंकड़ा 43,000 के पार पहुँचा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 42 प्रतिशत अधिक रहा।

प्रमुख उपलब्धियाः भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 38 वे स्थान पर पहुँचा है जो देश के इनोवेशन इंडेक्स की उल्लूक प्रगति का सूचक है। पेटेंट अटॉर्नी द्वारा दस्तावेजों को

इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। आवेदकों पर प्रशासनिक बोझ और अनुपालन लागत को कम करने के लिए पेटेंट के कार्य विवरण दाखिल करने की आवृत्ति को साल में एक बार से घटाकर हर तीन साल में एक बार कर दिया गया है। प्रमुख पेटेंट आवेदन क्षेत्रः कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने आविष्कार के क्षेत्र में अठाणी भूमिका निभाई। रैंकिंग में मुख्य रूप से वे वैश्विक कंपनियां शामिल हैं जो दूरसंचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और भारत में अपने पेटेंट पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही हैं।

बौद्धिक सम्पदा का वर्तमान परिदृश्यः 95 प्रतिशत से अधिक पेटेंट आवेदन ऑनलाइन दाखिल किए जा रहे हैं। वहीं डिजाइन आवेदनों की प्रक्रिया को भी अधिक सुव्यवस्थित किया गया है, ज्यादातर डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन फाइलिंग पर्याप्त है। सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट पंजीकरण के लिए अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को सरल कर दिया गया है और सोर्स कोड को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना पर्याप्त होगा।

गत वर्ष कंप्यूटर रिलेटेड इन्वेंशंस (सीआरआई) एजामिनेशन के लिए संशोधित दिशानिर्देश, 2025 जारी किये है जो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस

कैलेंडर वर्ष में प्रदर्शित बौद्धिक संपदा फाइलिंग में यह बड़ोती नवाचार के एक नए युग की सीढ़ी है और घरेलू स्तर पर पेटेंट व अन्य आई.पी. के आवेदनों में वृद्धि बौद्धिक संपदा को महत्व देने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव को दर्शाती है। डिजिटलीकरण, ई-फाइलिंग में वृद्धि, मजबूत शिकायत निवारण तंत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, भारत एक सशक्त बौद्धिक सम्पदा पारिस्थितिकी तंत्र की ओर अग्रसर है। यह सकारात्मक आईपी इकोसिस्टम जो नवाचार और रचनात्मक कार्यों को रक्षा करता है, भारत को उसके विकसित भारत 2047 विजन की ओर बढ़ने में मदद करेगा जो भारत को विश्व आईपी परिदृश्य में अग्रणी पंक्ति में शामिल होने की आहट है।

–विकास आसावत, पेटेंट अटॉर्नी एवं एडवोकेट

जब विवेक जागा, तब बचपन सुरक्षित हुआ स्पर्श अभियान : मौन के विरुद्ध खड़ा हुआ समाज



हेमंत चंडीदान उज्जवल

जब जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। - रामधारी सिंह ‘दिनकर’ समाज में जब विवेक सो जाता है, तब सबसे पहले आघात बचपन पर होता है। डर, संकोच और चुप्पी की परतों में लिपटी बाल पीड़ा वर्षों तक अनुसुपी रह जाती है। बाल यौन शोषण जैसे गंभीर विषय पर यही मौन बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इसी मौन को तोड़ने, विवेक को जगाने और बच्चों को सुरक्षा का साहस देने के लिए जन्म हुआ - स्पर्श अभियान का। बाल शोषण से जुड़ी लगातार सामने आती घटनाओं और समाज की

चुप्पी से व्यथित होकर नवीन जैन, आईएसएस (2001 बैच, राजस्थान) ने अगस्त 2019 में इस अभियान की शुरुआत की। उनका विश्वास स्पष्ट था- यदि बच्चों को सही समय पर, सरल भाषा में और संवेदनशील तरीके से समझाया जाए, तो वे स्वयं अपनी सुरक्षा की पहली दीवार बन सकते हैं। स्कूलों से शुरू हुआ सुरक्षा का संवाद जयपुर के कुछ स्कूलों से प्रारंभ होकर यह अभियान कक्षा 1 से 8 (आयु 4 से 12 वर्ष) के बच्चों तक पहुँचा। अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के अंतर को समझाना, डर को तोड़ना और बच्चों को बोलने का आत्मविश्वास देना-यही इसका मूल उद्देश्य रहा।

इस सामाजिक परिवर्तन की धुरी बने वे स्वयंसेवक, जिन्होंने अपने शनिवार समाज के नाम कर दिए बिना किसी आर्थिक लाभ के, केवल मानवीय जिम्मेदारी के भाव से, वे स्कूल-दर-स्कूल पहुँचे, संवाद किए और बच्चों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज़ मानने रखती है। पिछले छह वर्षों में स्पर्श ने 8,800 से अधिक जागरूकता सत्रों के माध्यम से 19 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को जागरूक किया। एक वर्ष में एक लाख बच्चों तक पहुँचने का लक्ष्य देखते-देखते यह अभियान राजस्थान से आगे चैतावनी देते आंकड़े भारत में बच्चों के विरुद्ध अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। कई घटनाएँ कभी दर्ज ही नहीं हो पातीं, क्योंकि अपराधी अक्सर परिचित या रिश्तेदार होते हैं। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान यह खतरा और बढ़ा। ऐसे समय में स्पर्श ने स्वयं को बदला-ऑनलाइन सत्र शुरू किए, किशोरों और अभिभावकों को संवाद में शामिल किया और भौगोलिक सीमाओं को पार कर अन्य राज्यों तक पहुँचा।

सरकारी सहयोग और स्पर्श ने बच्चों के भीतर दबी हुई पीड़ा को स्वर देने का प्रयास है- ताकि डर टूटे, ताकि चुप्पी बिखरे, और बचपन सुरक्षित रह सके। महान कवयित्री महादेवी वर्मा को पंक्तियाँ इस संवेदना को पूर्ण करती हैं- मैं नीर भरी दुःख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना। स्पर्श उसी बदली को शब्द देता है, ताकि दुःख बारसकर हल्का हो सके और बचपन फिर मुस्कुरा सके। -हेमंत चंडीदान उज्जवल, वरिष्ठ लेखक

ऐतिहासिक कीर्तिमान

मई 2023 में नवीन जैन के राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव बनने के बाद अभियान को नया विस्तार मिला। सरकार के सहयोग से सुशिक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान (एसएसएसआर) पहल शुरू हुई, जो 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों तक पहुँची। 26 अगस्त 2023 को एक ही दिन में 63 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बाल सुरक्षा पर शिक्षित किया गया। इस ऐतिहासिक प्रयास को लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स ने प्रमाणित होगा।

एक सादगीपूर्ण, पर सशक्त आंदोलन स्पर्श की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सादगी है- न कोई भारी प्रशासनिक ढांचा, न कोई पदानुक्रम, न कोई आर्थिक बोझ। यह अभियान पूरी तरह स्वयंसेवकों की निष्ठा और शनिवार समाज के लिए की भावना पर आधारित है। आज यह पहल राजस्थान से आगे बढ़कर जम्मू-कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में सक्रिय है। समापन : मौन से स्वर तक स्पर्श केवल एक अभियान नहीं, स्पर्श की सबसे बड़ी विशेषता



नवीन जैन (आई.ए.एस.)

बल्कि बच्चों के भीतर दबी हुई पीड़ा को स्वर देने का प्रयास है- ताकि डर टूटे, ताकि चुप्पी बिखरे, और बचपन सुरक्षित रह सके। महान कवयित्री महादेवी वर्मा को पंक्तियाँ इस संवेदना को पूर्ण करती हैं- मैं नीर भरी दुःख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना। स्पर्श उसी बदली को शब्द देता है, ताकि दुःख बारसकर हल्का हो सके और बचपन फिर मुस्कुरा सके। -हेमंत चंडीदान उज्जवल, वरिष्ठ लेखक

बीकानेर के 27 और चूरू के 30 सरकारी भवनों पर सोलर प्लैटें लगाना शुरू

राज्य सरकार ने सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए “हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना” शुरू की

बीकानेर, (निस)।संभाग के चारों जिलों में जल्दी ही सरकारी भवनों के बिजली के बिलों में कटौती शुरू हो जाएगी। इन भवनों पर सोलर प्लेटें लगाकर बिजली बनाई जाएगी। पहले चरण में बीकानेर के 27 और चूरू के 30 सरकारी भवनों पर सोलर प्लेटें लगेंगी, उसके बाद श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में काम शुरू होगा।

राज्य सरकार ने सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगाने के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना शुरू की है, जिसे राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

■ योजना को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) संचालित कर रहा है

(आरआरईसीएल) संचालित कर रहा है। बीकानेर के 27 और चूरू के 30 सरकारी भवनों में बिजली की खपत के अनुसार डिमांड ली गई है और उसी के मुताबिक सोलर प्लेटें लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। बीकानेर में सबसे

ज्यादा आरएसी 10वीं बटालियन में 125 किलोवाट बिजली उत्पादन की सोलर प्लेटें लगेंगी। व्यास कॉलोनी पुलिस थाने पर 15 किलोवाट की सोलर प्लेटें लगा दी गई हैं और उनसे बिजली बनना भी शुरू हो गया है। महिला थाना, सदत थाना परिसर सहित चार भवनों पर भी सोलर प्लेटें लग चुकी, लेकिन उन्हें बिजली मिलने का काम शुरू नहीं हो पाया है। इसका कारण बिजली कंपनी से पूर्व का बकाया बिल बताया जा रहा है। बीकानेर-चूरू में सोलर प्लेटें लगाने के बाद श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ में काम

शुरू होगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल है, जिसे विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। परियोजना की कुल लागत का 40 प्रतिशत सरकार 60 प्रतिशत निजी डेवलपर (टेकेदार) द्वारा लगाया जाता है। निजी कंपनियां सोलर परियोजनाओं की डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और 25 साल तक संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। सरकार की ओर से उन्हें 60 प्रतिशत लागत का भुगतान परियोजना चालू होने के बाद वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी भवनों की छतों का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए करना (जिसे कि बिजली के बिलों में कमी आए और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले। सरकारी विभागों को बिना किसी खर्च के सौर ऊर्जा का लाभ मिलेगा और वे नेट-मीटरिंग के माध्यम से उत्पादित अतिरिक्त बिजली ग्रिड को भी दे सकते हैं।